

राजस्थान सरकार
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

क्रमांक: F.1/PHED/RWSSMB/Water Tariff/2024-25/8666-75

दिनांक : 10.04.2025

—: अधिसूचना :—

राज्य में विभिन्न श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं हेतु लागू जल उपभोग की दरों एवं अन्य शुल्कों में संशोधन की अधिसूचना संख्या 8657-65 दिनांक 10.04.2025 द्वारा जारी की गई है। तदनुसार भविष्य में जल उपभोग के बिल जारी किये जायेंगे। राज्य में विभिन्न श्रेणी के पेयजल उपभोक्ताओं से पूर्ववत् प्रचलित दरों के आधार पर ही उपभोग राशि वसूल की जायेगी। शेष अन्तर की राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उक्त अधिसूचना वित्त विभाग की आई0डी0 संख्या 252400339 दिनांक 21.12.2024 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(भास्कर ए. सावंत)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

क्रमांक: F.1/PHED/RWSSMB/Water Tariff/2024-25/8666-75

दिनांक : 10.04.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राज., जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, जन स्वा. अभि. विभाग, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज., जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग, राज., जयपुर।
6. प्रधान महालेखाकार, राज., जयपुर।
7. मुख्य अभियन्ता (तकनीकी) एवं तकनीकी सदस्य/ वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी/सचिव, आर.डब्ल्यू.एस.एस.एम.बी., जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता एवं अति. सचिव, मुख्य अभियन्ता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू/प्रशासन/ग्रामीण/विशेष परियोजना) जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर / परियोजना जोधपुर/पीएमयू नागौर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर से समस्त अति. मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता/अधिशायी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को उपरोक्त आदेशों की प्रति अग्रेषित कर पालना सुनिश्चित करावें।
9. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), जन स्वा. अभि. विभाग, राज., जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य सचिव

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग